

जनपद बाराबंकी

दिनांक 14.10.2020

थाना कोठी पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से 15 बोटा आम की लकड़ी, 02 अदद कुल्हाड़ी व 02 अदद आरा बरामद।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा अवैध लकड़ी कटान करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री मनोज कुमार पाण्डेय के दिशा निर्देश व क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ श्री पवन गौतम के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कोठी श्री शैलेश यादव के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 13.10.2020 को अभियुक्त विमल किशोर पुत्र स्व0 विश्वेश्वर निवासी अकनपुर थाना कोठी जनपद बाराबंकी को समय 22.10 बजे वादीपुर गांव के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 15 बोटा आम की लकड़ी, 02 अदद कुल्हाड़ी व 02 अदद आरा बरामद किया गया। थाना कोठी पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए थाना कोठी पर मु0अ0सं0 326/2020 धारा 4/10 वन संरक्षण अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

विमल किशोर पुत्र स्व0 विश्वेश्वर निवासी अकनपुर थाना कोठी जनपद बाराबंकी।

गिरफ्तारी का स्थान-

दिनांक 13.10.2020 को समय 22.10 बजे वादीपुर गांव के पास थाना कोठी जनपद बाराबंकी।

बरामदगी-

1. 15 बोटा आम की लकड़ी
2. 02 अदद कुल्हाड़ी
3. 02 अदद आरा

पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष कोठी श्री शैलेश यादव जनपद बाराबंकी।
2. उ0नि0 अरविन्द सिंह थाना कोठी जनपद बाराबंकी।
3. का0 आशीष कुमार, का0 नागेन्द्र यादव थाना कोठी जनपद बाराबंकी।